उत्तर प्रदेश शासन,
ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1
संख्या-33/2017/1175/92-1-2017-51(अधि0)/2015
लखनऊ: दिनांक: 08 मई, 2017

कार्यालय-ज्ञाप

वेतन समिति 2008 की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था विषयक शासनादेश सं0-वे0आ0-2-773/दस-62 (एम)/2008, दिनांक 05-11-2014 के प्राविधानों के अन्तर्गत गठित स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के अनुक्रम में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के अधोतालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिशासी अभियंताओं को 26 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरान्त ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत तालिका के स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि पर विचार करते हुये स्तम्भ-4 में उल्लिखित तिथि से ग्रेड पे रू0 8700/- तृतीय ए0सी0पी0 के रूप में अनुमन्य कराये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	तृतीय ए0सी0पी0 की देयता की तिथि	ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत तृतीय ए0सी0पी0 अनुमन्य किये जाने की तिथि/ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	श्री सुरेश चन्द्र	अधि0 अभि0	25-05-2011	श्री सुरेश चन्द्र को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 25-05-2011 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किया जाता है।
2	श्री राम चन्द्र	अधि0 अभि0	21-05-2011	श्री राम चन्द्र को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 21-05-2011 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किया जाता है।
3	श्री शिव प्रसाद राम	अधि0 अभि0	28-05-2011	श्री शिव प्रसाद राम को तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में दिनांक 28-05-2011 से ग्रेड वेतन रू0 8700/- अनुमन्य किया जाता है।

मो0 इफ्तेखारूद्दीन
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-33/2017/1175(1)/92-1-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियंता (पूर्वी/पश्चिमी), ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित अभियंता द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0 अभि0 विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(राम रतन)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in